

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/100825

दिनांक: 29/07/2026

लोक सूचना

श्री HARIOM BUILDSQUARE PRIVATE LIMITED DIRECTOR OF RAKESH DHAMANI पुत्र श्री GOVIND SHARAN DHAMANI जाति DHAMANI निवासी D 118 A KRISHNAMARG BAPU NAGAR KARYALAYA D-115 A KRISHNAMARG BAPU NAGAR JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) हरिओमबिल्डस्क्वायर प्रा. लि. हिस्सा पूर्ण कार्यालय डी 115 कृष्णमार्ग बापूनगर जयपुर खातेदार	734	0.2782	0.2782
2.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) हरिओमबिल्डस्क्वायर प्रा. लि. हिस्सा पूर्ण कार्यालय डी 115 कृष्णमार्ग बापूनगर जयपुर खातेदार	735	0.2529	0.2529
3.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) हरिओमबिल्डस्क्वायर प्रा. लि. हिस्सा पूर्ण कार्यालय डी 115 कृष्णमार्ग बापूनगर जयपुर खातेदार	736	0.0379	0.0379
4.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) हरिओमबिल्डस्वायरप्रा. लि. हिस्सा पूर्ण कार्यालय डी 118 ए कृष्णमार्ग बापू नगर जयपुर जरिये निदेशक राकेश धामानीपुत्र	733	0.2529	0.2529

		गोविन्द शरण धामाणी नि.डी 118 ए कृष्णामार्ग बापू नगर जयपुर खातेदार			
5.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	1.) HARIOM BUILDSQUARE PRIVATE LIMITED पंजीकृत पंजीकृत कार्यालय D 118 Siwar Area Bapu Nagar Jaipur Rajasthan हिस्सा पूर्ण जाति (NA) खातेदार	2726/774	0.1	0.1
कुल					0.9219

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **29-07-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & DAINIK NAVAJYOTI

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर